

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदक परियोजना निदेशक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अंतर्गत रकबा 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रकबा 90.9718 हे. एवं जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल में 0.747 हे. वनभूमि उरगा-पत्थलगांव मार्ग एन.एच.130 भारत माला प्रोजेक्ट में प्रभावित रकबा 169.0231 हे. में मार्ग निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल अंतर्गत रकबा 77.3041 हे. रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रकबा 90.9718 हे. एवं जशपुर जिले के जशपुर वनमण्डल में 0.747 हे. वनभूमि उरगा-पत्थलगांव मार्ग एन.एच.130 भारत माला प्रोजेक्ट में प्रभावित रकबा 169.0231 हे. में प्रभावित वनभूमि में धरमजयगढ़ वनमण्डल के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क काष्ठागार डिपों के बीच से होते हुए गुजर रहा है जिसके कारण डिपो सेक्टर बनाने की आवश्यकता होगी, वर्तमान में प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन का कार्य प्रगति पर है, अतः वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार काष्ठ डिपो धरमजयगढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि रु. 1,41,40,355/- आवेदक सस्थान से वसूल किया जाना प्रस्तावित है एवं प्रभावित वनभूमि से सेड्यूल-1 के वन्यप्राणीयों हाथी, भालू एवं अन्य का उपस्थिति एवं आवागमन होता है। अतः वन्यप्राणी योजना प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक 22/9/2023

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर